

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 24.02.26


संख्या-12/निजी-7077/2024 सा0प्र0- 3906 /सुश्री आरती कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-1030/24), वरीय उप समाहर्ता, वैशाली द्वारा यू0पी0एस0सी0 मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के निमित्त दिनांक-16.06.2025 से दिनांक-02.09.2025 तक कुल-79 (उन्यासी) दिनों की उपभोग की गयी छुट्टी को निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (क) दिनांक-16.06.2025 से 30.07.2025 तक (कुल-45 दिन):- बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में।
- (ख) दिनांक-31.07.2025 से 19.08.2025 तक (कुल-20 दिन):- बिहार सेवा संहिता के नियम-232 के तहत अर्द्धवैतनिक (अवैतनिक) छुट्टी के रूप में।
- (ग) दिनांक-20.08.2025 से 02.09.2025 तक (कुल-14 दिन):- बिहार सेवा संहिता के नियम-236(1) के तहत असाधारण छुट्टी के रूप में।

2. सुश्री आरती कुमारी को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त शून्य दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं शून्य दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी आदेय होगी।

3. सुश्री आरती कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु उपर्युक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-7077/2024 सा0प्र0- 3906 /पटना, दिनांक- 24/02/26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सुश्री आरती कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-1030/24), वरीय उप समाहर्ता, वैशाली/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।